

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 803]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2024 — अग्रहायण 21, शक 1946

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 दिसम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-7/2014/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 14-क की उप-धारा (2) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 32-क की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं पूर्व अधिसूचना क्र. एफ1-7/2014/18, दिनांक 13 नवंबर, 2019 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्वारा, नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के निर्वाचन के लिये व्यय की सीमाओं को निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

तालिका

| स.क्र. | नगरीय स्थानीय निकाय का विवरण | 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या | निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा |
|--------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | नगरपालिक निगम | तीन लाख या उससे अधिक | रुपये 8 लाख |
| | | तीन लाख से कम | रुपये 5 लाख |
| 2. | नगरपालिका परिषद | — | रुपये 2 लाख |
| 3. | नगर पंचायत | — | रुपये 75 हजार |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव,

अटल नगर, दिनांक 12 दिसम्बर 2024

क्रमांक एफ 1-7/2014/18. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2014/18 दिनांक 12-12-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 12th December 2024

NOTIFICATION

No. F 1-7/2014/18. - In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 14-A of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (2) of Section 32-A of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) in consultation with the State Election Commission and in supersession of previous Notification No.F1-7/2014/18, dated 13th November, 2019, the State Government, hereby, notifies the limits of expenditure for the election of Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats, as follows:-

TABLE

| S.No. | Details of Urban local body | Population as per census 2011 | Maximum limit of election expenses |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Municipal Corporation | three lacs or above | Rs. 8 lacs |
| | | below three lacs | Rs. 5 lacs |
| 2. | Municipal Council | — | Rs. 2 lacs |
| 3. | Nagar Panchayat | — | Rs. 75 thousand |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.